(मैनुअल-6)
बोर्ड, परिषदों,
समितियों एवं अन्य निकायों
का विवरण

ग्राम पंचायत एक संवैधानिक ग्रामीण स्थानीय निकाय है

- पंचायतीराज व्यवस्था की प्रथम संवैधानिक इकाई ग्राम पंचायत है। वर्तमान में पंचायत राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी के तथा ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में तैनात हैं। ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित प्रधान-ग्राम पंचायत का अध्यक्ष एवं अन्य निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं।
- ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के गांवों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन एवं परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का कार्य करती है।
- ग्राम पंचायतों के समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत के सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अभिरक्षा में रखे जाते है।
- ग्राम पंचायतों को 50 हजार तक की योजना स्वयं बनाने तथा योजना का क्रियान्वयन करने का अधिकार दिया गया है।

ग्राम पंचायत के कार्य

- खेती और बागवानी के विकास के साथ-साथ बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास तथा उनके नाजायज कब्जे को रोकने की व्यवस्था।
- भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण व चकबन्दी में सरकार की सहायता।
- लघु सिंचाई योजनाओं में जल के वितरण में सहायता तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत व देखभाल।
- पालतू जानवरों, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि की तरक्की तथा पशुओं की नस्ल में सुधार के साथ-साथ दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना।
- मछली पालन को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना व उनकी देखभाल तथा रेशम की खेती को बढ़ावा देना।

- छोटे वन उत्पाद एवं लघु उद्योग धन्धों की तरक्की में सहायता देना तथा स्थानीय बाजार की तरक्की करना।
- खेती और व्यापार से जुड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ कुटीर उद्योगों ;गृह उद्योगोंद्ध व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में मकान बनवाने के लिये जमींन का आवंटन और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देना।
- पानी पीने, कपड़ा धोने, नहाने आदि के लिये सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना।
- ईंधन और चाराभूमि से सम्बन्धित घास व पौधों के विकास के साथ-साथ चाराभूमि के नाजायज कब्जे को रोकना।
- गांव की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण व उनकी देखभाल, जलमार्गों की देखभाल तथा सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जा हटाना।
- गांवों के सार्वजनिक मार्गों व अन्य जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा उसकी देखभाल करना।
- ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ग्राम में गैर पारम्परिक उर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास, उन्हें बढ़ावा देना तथा उनका क्रियान्वयन करना।
- गांव में चलाये जाने वाले गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनका क्रियान्वयन करना।
- शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना, बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान देना।
- ग्रामीण कला एवं शिल्पकारों को बढ़ावा देना।
- प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना।
- पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और उसकी देखभाल।
- गांव में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना, स्थानीय त्यौहारों को मनाना तथा खेल-कूद के लिये ग्रामीण क्लबों की स्थापना तथा उनकी देखभाल।
- गांव की सीमा में लगने वाले मेलों, बाजारों व हाटों पर नियंत्रण रखना।
- ग्रामीण स्वच्छता व मनुष्य और पशु टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना। महामारियों की रोकथाम के लिये कार्यवाही, छुट्टा पशुओं को रोकना, जन्म-मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- पंचायत के आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना।

- गांव की महिलाओं और बच्चों के विकास तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना व उन्हें बढ़ावा देना।
- वृ(ावस्था व विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करने के साथ-साथ विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के कार्यक्रमों की सफलता के लिये कार्य करना।
- कमजोर वर्गों, खासतौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिये चलाये जा रहे कार्यक्राम में भाग लेने के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लिये योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना।
- आवश्यक वस्तुओं ;चीनी, गेहू, चावल, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदिद्ध के वितरण के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करना तथा उस पर नजर रखना।
- पंचायत के क्षेत्र में बनी सार्वजनिक सम्पत्तियों की देखभाल व उनकी सुरक्षा करना।

<u>विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चरण में ग्राम-पंचायतों कौ सौंपे गये कार्य</u>

1. शिक्षा

ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा के कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन अब ग्राम पंचायत की सम्पत्ति हो गये हैं।

2. हैण्डपम्प

सभी विद्यमान और नये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायतों की सम्पत्ति हो गये हैं। हैण्ड पम्पों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही है।

3. युवा कल्याण

युवा कल्याण, अखाड़ा, व्यायामशाला, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा खेलकूद सम्बन्धी कार्यो का संचालन अब ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा।

4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय सभी कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायेंगे। ग्राम स्तर पर स्थित ''मातृ एंव शिशु कल्याण केन्द्र'' ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ;महिलाद्ध तथा दाई भी ग्राम पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी।

5. महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास के समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में संपादित किये जायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को ग्राम पंचायतों के नियन्त्रण में कर दिया गया है।

6. पशुधन विभाग

पशुधन विभाग के ''पशु सेवा केन्द्र'' तथा 'द' श्रेणी के पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है।

7. ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय कार्य अब ग्राम पंचायतों के माध्यम से किये जायेंगे। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की धनराशि विकास कार्यो हेतु शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे दी जा रही है।

8. पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे हैं और उसके लिए आवश्यक धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे दी जा रही है।

9. सभी प्रकार की पेंशन वितरित करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को

- वृधा अवस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है। लाभार्थियों का सूची के आधार पर स्थानीय जांच करके ग्राम पंचायत में विचार-विमर्श कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी गलत व्यक्ति को

पेंशन प्राप्त न हो रही हो। यदि गलत पेंशन प्राप्त हो रही है तो उसके निरस्तीकरण हेतु कारणों का उल्लेख करते हुये क्षेत्र पंचायत को सूचित करेगें। क्षेत्र पंचायत उक्त पेंशन का निरस्तीकरण जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से करायेंगे।

- यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी रिक्ति की दशा में अथवा शासन द्वारा लक्ष्य वृ(ि की दशा में उक्त चयन के आधार पर तैयार सूची में से क्रमानुसार रिक्तियों की संख्या तक ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जायेगी तथा क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ग्राम पंचायत की इसी सूची के अनुसार ही लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नियमानुसार करेंगे।

10. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियाॅं वितरित करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को

ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अर्धशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्तियों का वितरण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

ग्राम पंचायतों की समितियॉं

क्र.सं.	समिति का नाम	समिति के कार्य	समिति का गठन
1-	नियोजन एंव विकास समिति	1. ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना। 2. कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलनकार्यक्रमों का संचालन।	1. प्रधान - सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध 3. 7 से अनधिक विशेष आमंत्री

2-	शिक्षा समिति	प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिकशिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य।	1. उप प्रधान - सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध 3. 7 से अनधिक विशेष आमंत्री
3-	निर्माण कार्य समिति	सभी निर्माण कार्य कराना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य-सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध शेष आमंत्री
4-	स्वास्थ्य एंव कल्याण समिति	1. चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूपसे महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन। 2. अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गो की उन्नति एवं संरक्षण।	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य- सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध 3. 7 से अनधिक विशेष आमंत्री
5-	प्रशासनिक समिति	1. कर्मियों सम्बन्धी समस्त विषय 2. राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य	1. प्रधान-सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध 3. 7 से अनधिक विशेष आमंत्री

6-	जल प्रबन्धन समिति	1. राजकीय नलकूपों का संचालन 2. पेयजल सम्बन्धी कार्य	1. ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य-सभापति 2. 6 अन्य सदस्य ;अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला और पिछड़ेवर्ग का एक सदस्य अवश्य होगाद्ध 3. 7 से अनधिक विशेष आमंत्री

विशेष -

- पारदर्शिता की दृष्टि से ग्राम स्तर पर किये जाने वाले समस्त कार्य सम्बन्धित समितियों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।